तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के जबाब ना देते हुए कथन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अन्तिम बहस में विचाराधीन है, दिनांक 13.12.2022 को उक्त प्रकरण में बहस भी सुनी गई थी, और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में आदेश हेतु दिनांक 16.12.2022 नियत की गई थी। उक्त बहस के पश्चात् सायलान अभिभाषक ने शाम 4:15 बजे न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र की बहस भी साथ ही सुने जाने का निवेदन किया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.12.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तिम बहस में विचाराधीन था। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी की बहस एक साथ सुनी गई। विद्वान अभिभाषक सायलान ने कथन किया कि, विवादित आराजी में सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल प्रार्थना पत्र में बनाये गये गैरसायलान के विरूद्ध ही चाहिए था। सभी सहखातेदारों के विरूद्ध नहीं। इसलिए सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था, वकील गैरसायलान द्वारा आपत्ति जाहिर किये जाने के कारण सभी खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया है। अपने कथनों के समर्थन में निम्नानुसार कानूनी नजीरें पेश करते हुए वकील सायलान ने कथन किया कि, केवल समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है, (आरआरटी 2011(1) पेज संख्या 139), और ना ही प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है, (एजेआर 1973), सायलान एवं गैरसायलान सहखातेदार है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वाद बहुल्यता की संभावना है (आरआरडी 2020 पेज संख्या 132), सहखातेदार भूमि के विशिष्ट भाग पर उसके हिस्से की सीमा तक दावा नहीं कर सकता है, न्यायालय को केवल वादी के हिस्से की सुरक्षा करनी चाहिए (आरआरटी 2015(2) पेज संख्या 1183), और वाद लम्बित रहते क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, (आरआरटी 2009 (1) पेज संख्या 311), तात्विक विधिक प्रश्न मूल वाद में निर्णीत होंगे, लेकिन वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वादी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है, इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है (आरआरटी 2009 (1) पेज संख्या 141), यदि कोई सहखातेदार विवादित आराजी में किसी भी विशिष्ट भाग का रहन, वय या उस पर कोई	

सहायक कलक्टर मुख्यालय
जोधपुर (राज.)

निर्माण कार्य करना चाहता है तो न्यायालय उसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर सकती है, (आरआरडी 2010 पेज संख्या 96), न्यायालय वादी के अधिकारों की सुरक्षा एवं विवादित आराजी को सुरक्षित रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सकती है, (आरआरटी 2015 (2) पेज संख्या 1445)। सायलान को केवल प्रार्थना पत्र में अंकित गैरसायलान के विरूद्ध ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहिए, मूलवाद में अंकित अन्य पक्षकारों के विरूद्ध नहीं। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सद्भावी रूप से पक्षकार बनाये जाने हेतु स्वीकार किये जाने एवं गैरसायलान को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक गैरसायलान का कथन है कि सायलान की मंशा प्रकरण को लम्बित रखने की है। सायलान द्वारा मूलवाद में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। लेकिन प्रार्थना पत्र में मूलवाद के सभी पक्षकारों को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। अब जब प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अन्तिम बहस में विचाराधीन है, एवं दिनांक 13.12.2022 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस भी सुनी जा चुकी है। उसी दिनांक 13.12.2022 को शाम 4:15 बजे वकील सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रकरण के निस्तारण में विलंब करने हेतु पेश किया है। प्रकरण में दिनांक 18.07.2016 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। वकील सायलान उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में विवादित आराजी के सहखातेदारों को परेशान करना चाहते है। और प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है। अपने कथनों के समर्थन में निम्नानुसार कानूनी नजीरें पेश करते हुए वकील गैरसायलान ने कथन किया कि, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, (आरबीजे (25) 2018 पेज संख्या 534)। संयुक्त खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना माना जाता है (आरआरटी 2020(2) पेज संख्या 1122), अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक घटकों पर विचार करना चाहिए सायलान द्वारा मूलवाद के सभी पक्षकारों को प्रार्थना में पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है, (आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 726), सायलान के प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसे प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है (आरआरटी 2005 (1) पेज संख्या 778)। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दोनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वकील सायलान ने दिनांक 13.12.2022 को प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की बहस सुनने के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते शेष मूलवाद पक्षकार को प्रार्थना पत्र 212

सहायक कलक्टर मुख्यालय
जोधपुर (राज.)

आरटीए में पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया, जबकि मूलवाद में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। लेकिन सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र में मूल वाद की सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया है, और ना ही प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने में हुए इस विलंब हेतु कोई भी उचित एवं संतोषप्रद कारण बताया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है। दौराने प्रकरण विचारण कार्यवाही सायलान द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी के किसी भी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, रहन या कोई निर्माण कार्य करने की चेष्टा की हो या उसकी मंशा रही हो। जिसके कारण सायलान को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हो। इस प्रकार सायलान अपने कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। सायलान द्वारा मूलवाद के सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त तथ्यों के संदर्भ में वकील गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें आरबीजे (25) 2018 पेज संख्या 534, आरआरटी 2020(2) पेज संख्या 1122, आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 726, आरआरटी 2005 (1) पेज संख्या 778, के अध्ययन से स्पष्ट है, कि वह हाजा प्रकरण पर हूबहू लागू होती है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है। दिनांक 18.07.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। आदेश सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर मुख्यालय,
धौलपुर (राज०)